श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार का दिनांक 1 फरवरी, 2011 को आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में संबोधन

बिहार के लोगों ने सुशासन और न्याय के साथ विकास को भारी जनादेश के साथ संपुष्ट किया है। स्वतंत्र, स्वच्छ और शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न हुआ, जिसमें कुल डाले गये मतों में 54 लाख से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई जो लगभग 23% है। महिलाओं के मतों की संख्या में 32 लाख से अधिक की बढ़ोतरी हुई जो हमारी आंतरिक सुरक्षा में निरंतर सुधार को परिलक्षित करता है।

2. स्वच्छ, पारदर्शी तथा उत्तरदायी प्रशासन के माध्यम से विकास, पंचायती राज संस्थाओं में धरातल पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था तथा इनमें आरक्षण द्वारा महिला सशक्तीकरण के कारण बेहतर विधि–व्यवस्था की स्थिति हुई है। बिहार सरकार समाज के सभी वर्गों का आदर और विश्वास प्राप्त करने में सफल रही है एवं इससे राज्य में आंतरिक सुरक्षा के परिदृश्य में भी सुधार हुआ है।

3. अपराध और हिंसक घटनाओं से निपटना ही पर्याप्त नहीं है। विधि–व्यवस्था और लोक शांति सार्वजनिक राय से भी प्रभावित होती है–बड़े पैमाने पर फैल रहा भ्रष्टाचार और अनियंत्रित मुद्रास्फीति हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। प्रजातांत्रिक शासन के प्रति लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रभावी और परिलक्षित होने वाली कार्रवाई को करना होगा।

4. बेशक पुलिस को कार्यकुशल, क्षमतावान, मैत्रीपूर्ण एवं उत्तरदायी बनाने के लिए शक्तियाँ प्रदत्त करना भी आवश्यक है। हमारी सरकार पुलिस को कार्यकारी स्वायतत्ता देने के विचार का पूर्णतया समर्थन करती है। वस्तुतः बिहार में पुलिस तंत्र अब अपराध नियंत्रण एवं जाँच में पहले की तुलना में अधिक स्वतंत्र है। लेकिन मानवाधिकारों के उल्लंघन एवं अत्याचारों के लिए दोष फिर भी सरकार पर ही आता है और सरकार ऐसी घटनाओं से अपनी आँखे बंद नहीं कर सकती हैं। 1979–80 का भागलपुर अँखफोड़वा काण्ड इसका प्रमुख उदाहरण है। सरकार को ऐसी स्थिति में

सभी की आलोचना झेलनी पड़ती है और पुलिस से अधिक सरकार पर ही दोष मढ़ दिया जाता है। निर्वाचित सरकार ही विधि–व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंततः जिम्मेवार है। फिर भी उत्तरदायित्व और जवाबदेही साथ–साथ रखने की आवश्यकता है। अतः पुलिस संगठनों को कार्यकारी स्वतंत्रता प्रदान करने में सरकार को एक सूक्ष्म संतुलन बनाए रखना है ताकि जनादेश द्वारा लोकतांत्रित ढंग से निर्वाचित सरकार का नियंत्रण बना रहे जैसा कि भारतीय संविधान में निहित है। स्वतंत्रता के बाद वाले दशकों में हमारे देश में प्रजातंत्र मजबूत हुआ है क्योंकि निर्वाचित सरकारों की पुलिस और सेना पर प्रभावशाली नियंत्रण संवैद्यानिक प्रावधानों के कारण बनी रही है।

5. उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद हमने पुलिस सुधार के कार्यक्रम को एक नये बिहार पुलिस एक्ट, 2007 द्वारा लागू किया है। हालांकि बाद में कुछ अन्य मुद्दे उभरे हैं, जो केन्द्र के साथ–साथ राज्य सरकारों द्वारा भी परस्पर समन्वय के साथ विचारणीय है। केन्द्र सरकार की आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने के प्रयासों को तभी सफलता मिलेगी जब राज्य सरकारों का पुलिस पर प्रभावशाली नियंत्रण बना रहेगा, अतः पुलिस सुधार के नाम पर इस नियंत्रण को कमजोर करने से बचना चाहिए। प्रजातांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार के प्रति पुलिस बल की जवाबदेही को बनाये रखने लिए राज्य सरकारों को भी आगे बढ़कर एक आम राय बनानी चाहिए। केन्द्र सरकार को भी राज्य के पुलिस महानिदेशक के चयन संबंधी मामलों में संघ लोक सेवा आयोग या गृह मंत्रालय को भूमिका प्रदान करने के लिए नियम बनाने से बचना चाहिए। पुलिस पदाधिकारी को पदस्थापन काल की स्थिरता मिलनी चाहिए लेकिन व्यापक एवं लचीले ढंग से ही, ताकि सुशासन के हितों के लिए एक सम्प्रभुत्व प्राप्त सत्ता को एक कदाचारी पुलिस पदाधिकारी को हटाने का अधिकार अक्षुण्ण रहे। अगर कुछ लोग या संस्थाएँ ऐसा समझती हैं कि उपर्युक्त मामले में निर्वाचित राज्य सरकारों की शक्तियों में कटौती की आवश्यकता है तो उन्हें राज्यों के प्रशासनिक नियंत्रण और विधायी परिधि से पुलिस और शांति व्यवस्था हटाने के लिए संविधान के संशोधन के लिए जोर देना चाहिए और केन्द्र को इसकी शक्ति और उत्तरदायित्व सौंप देना चाहिए। तब राज्य सरकारें दिल्ली राजधानी क्षेत्र की सरकार की तरह

नागरिकों के जीवन की रक्षा एवं स्वतंत्रता को छोड़ मात्र सामान्य प्रशासन तथा विकास के लिए ही जिम्मेवार रहेगी।

6. बिहार में नक्सल स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है। हमने एक समर्पण एवं पुनर्वास की नीति के साथ ही विभिन्न रणनीतियों को उग्रवाद की समस्या का निदान के लिए लागू किया है। राज्य सरकार की एक अभिनव योजना ''आपकी सरकार आपके द्वार'' 08 उग्रवाद प्रभावित जिलों के 65 पंचायतों को आच्छादित कर रही है। अब यह सुरक्षा के साथ विकास का केन्द्र विन्दु बन गयी है। बड़े पैमाने पर इन्दिरा आवास, विद्यालय भवन और ग्रामीण सड़कों के निर्माण के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण संबंधी योजनाओं का समावेश इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया है ताकि चुने हुए पंचायतों में विकासात्मक गतिविधियाँ पूर्ण संतृप्त हों एवं योग्य व्यक्तियों को इस कार्यक्रम के सभी लाभ उनके दरवाजे पर ही मिल सकें। इस कार्यक्रम एवं प्रभावी पुलिस कार्रवाई के फलस्वरूप उग्रवादी हिंसा में कमी हुई है। आम लोगों के साथ पुलिस की मित्रता संबंधी कार्यक्रमों ने गंभीर रूप से उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस और लोगों के बीच एक नये विश्वास और आपसी समझ का संचार किया है। यह कार्यक्रम खाकी वर्दी के मानवीय परिदृश्य को दर्शाता है। ''आपकी सरकार आपके द्वार'' कार्यक्रम उन बड़े क्षेत्रों में जहाँ यह कार्यक्रम अबतक लागू नहीं हुआ है, लागू करने के लिए आवश्यकताओं की तुलना में हमारे संसाधन सीमित है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता रहा हूँ कि इस कार्यक्रम को सभी उग्रवाद प्रभावित पंचायतों में लागू करने के लिए राज्य सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। पूर्व में मेरी सरकार को एक निराशाजनक अनुभव हुआ था जब उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के विकास में हमारे द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्त्ति को हमारे बार–बार के अनुरोध के बावजूद भारत सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। इस प्रकार हमारे विकास के कार्य में सक्रियता पर ध्यान नहीं दिया गया बल्कि हमें उसके लिए सजा मिली।

7. शुरू में राज्य सरकार ने LWE योजनान्तर्गत 1306.47 Km की लम्बाई एवं `1885.91 करोड़ की लागत वाली 95 सड़कों की सूची समर्पित की थी। मंत्रालय ने

370.93 Km एवं `613.15 करोड़ की 40 सड़कों का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से इन सड़कों का उन्नयन किया है। LWE के अन्तर्गत इन सड़कों की स्वीकृति में अत्यधिक विलम्ब एवं तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार के समक्ष इन्हें अपने संसाधनों से उन्नयन करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था, अतएव `613.15 करोड़ की सड़कों की उन्नयन में व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्त्ति राज्य सरकार को होनी चाहिए।

8. मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि बिहार में केन्द्रीय पुलिस बलों की कम्पनियों की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। बिहार में एक लंबे समय से केवल 23 सी0पी0एफ0 कम्पनियाँ हैं। सी0पी0एफ0 की 70 अतिरिक्त कम्पनियों की हमारी मांग बहुत समय से गृह मंत्रालय में लंबित है। माननीय गृहमंत्री ने 27 अप्रैल, 2010 के अपने पत्र में मुझे सूचित किया था कि प्रभावकारी क्षेत्र नियंत्रण और आसूचना आधारित कार्यों के लिए हमारे अनुरोध पर संज्ञान लिया गया है और गृह मंत्रालय सभी नक्सल प्रभावित राज्यों में सी0पी0एफ0 की तैनाती की प्रक्रिया में है। यह कहा गया था कि अतिरिक्त सी0पी0एफ0 की तैनाती के लिए समीक्षा पूरी हो जाने पर बिहार के अनुरोध पर निर्णय लिया जाएगा। अब तक यह समीक्षा पूरी हो गई होगी। हम अतिरिक्त कम्पनियाँ शीघ्र पाने की उम्मीद रखते हैं। हालांकि यह एक चिंता का विषय है कि राज्य सरकारों द्वारा सी0पी0एफ0 की मांग की प्रक्रिया को हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा भेजे गये एक पत्र द्वारा अधिक जटिल बना दिया गया है। इसकी जल्द समीक्षा करते हुए प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है।

9. राज्य सरकार ने उग्रवाद से प्रभावित सुरक्षा संबंधी व्यय (एस0आर0ई0) से जुड़े जिलों में अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) के स्वीकृत बल में वृद्धि करते हुए इसकी संख्या 16 कर दी है। सम्प्रति केन्द्रीय पुलिस बल के चार पदाधिकारी इन पदों को भरने के लिए प्रतिनियुक्ति पर हैं। हमें तत्काल केन्द्रीय पुलिस बल के 12 और पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता है। मैं गृह

मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि अतिरिक्त संख्या में प्रतिनियुक्ति पर पदाधिकारियों की सेवा राज्य सरकार को शीघ्रातिशीघ्र दी जाए।

10. बिहार में भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का स्वीकृत बल 231 है। सीधी नियुक्ति के 161 स्वीकृत बल में 41 पद रिक्त हैं। केन्द्र सरकार द्वारा इन रिक्तियों को अविलम्ब भरने की आवश्यकता है, ताकि युवा एवं पूर्ण प्रशिक्षित आई0पी0एस0 अधिकारियों को प्रभावी ढंग से पुलिस अधीक्षक के पदों पर पदस्थापित किया जा सके। राज्य सरकार ने केन्द्रीय पुलिस बल से भारतीय पुलिस सेवा में समावेश की योजना संबंधी प्रस्ताव गृह मंत्रालय को अपने मंतव्य के साथ भेज दिया है।

11. बिहार के 16 जिले एस0आर0ई0 योजना में शामिल हैं। 05 अन्य जिलों यथा शिवहर, बाँका, लखीसराय, बेगूसराय और वैशाली को एस0आर0ई0 योजना में शामिल करने के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव गृह मंत्रालय में लंबित है, जिसके लिए विहित प्रपत्र में सूचनाएँ राज्य सरकार द्वारा भेजी जा चुकी है। इस संबंध में शीघ्र निर्णय सराहनीय होगा।

12. अप्रैल–मई, 2011 में बिहार में पंचायत चुनाव निर्धारित है। स्वतंत्र, स्वच्छ और शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होगा और वामपंथ उग्रवादी हतोत्साहित होंगे। पंचायत चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने केन्द्रीय पुलिस बलों की 400 कम्पनियों की आवश्यकता का आकलन किया है। राज्य निर्वाचन आयोग का इन चुनावों को 10 चरणों में कराने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने आयोग के मंतव्य से सहमत होते हुए गृह मंत्रालय से केन्द्रीय पुलिस बलों की 400 कम्पनियों के लिए अनुरोध किया है। मतगणना सहित चुनाव की पूर्ण प्रक्रिया में कम–से–कम 45 दिन लगेंगे। पंचायती राज के चुनाव बहुत संर्घषपूर्ण ढ़ंग से लड़े जाते हैं और इस कारण हमेशा हिंसा की संभावना भी रहती है। इसके अतिरिक्त वामपंथ उग्रवादियों द्वारा भी चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की जा सकती है। यहाँ यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि झारखंड में

हाल में सम्पन्न पंचायत चुनाव के लिए केन्द्रीय पुलिस बलों की 250 कम्पनियाँ आवंटित हुई थीं। इस परिपेक्ष्य में हमारी आवश्यकता वास्तविक और उचित है।

13. आपराधिक न्याय प्रणाली और प्रभावकारी हो गयी है। वर्ष 2006 से कुल 56,156 अभियुक्तों को सामान्य/त्वरित विचारण द्वारा सजा दी गयी है, जिनमें 37 को फाँसी की सजा और 1875 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा दी गई है। राज्य में विधि–व्यवस्था एवं आपराधिक परिदृश्यों के सुधार में त्वरित विचारण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

14. बिहार सैन्य पुलिस में एक महिला बटालियन का अलग से गठन किया गया है। बिहार में इससे पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। जैसा कि मैंने अपने पूर्व के संबोधनों में उल्लेख किया है, बिहार ने पहल करते हुए भूतपूर्व सैनिकों की सेवा लेकर स्पेशल ऑग्जिलियरी पुलिस (SAP) का गठन उग्रवाद और संगठित अपराधों का मुकाबला करने के लिए किया है। बिहार पुलिस में आज 8000 से अधिक सैप के जवान कार्यरत है। सरकार ने मासिक मानदेय `10,000 से बढ़ाकर `12,000 कर दिया है। राजगीर में एक अत्याधुनिक बिहार पुलिस एकेडमी का निर्माण कार्य प्रारम्भ है। राज्य के पुलिस कर्मियों को इसमें उत्कृष्ट प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि वे विभिन्न समस्याओं का मुकाबला कर सकें। अखिल भारतीय पुलिस–पब्लिक अनुपात को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अगले पाँच वर्षों में 45,000 सिपाही तथा लगभग 9500 अवर निरीक्षकों की चरणबद्ध नियुक्ति का निर्णय लिया है। हमने अभी हाल में ही 12000 सिपाहियों की पारदर्शी, लक्षित तथा त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से सफलतापूर्वक बहाली की है। इससे पहले 2000 से अधिक अवर निरीक्षकों को नियुक्त कर प्रशिक्षित किया गया है।

15. बिहार के लिए बड़े संतोष की बात है कि पिछले पाँच वर्षों में राज्य में कोई बड़ी साम्प्रदायिक घटना नहीं हुई है। 1989 भागलपुर दंगों के पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा मुहैय्या कराया गया है तथा पूर्व के बन्द कर दिये गये कांडों

को पुनः जाँच के लिए खोलते हुए अभियुक्तों का विचारण कराया गया है और दोषियों को अंततः सजा दी गई है।

16. राज्य में पूर्ण सुरक्षा के वातावरण के लिए केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों की मौजूदगी तथा केन्द्रीय पुलिस बलों के प्रशिक्षण संस्थानों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तत्कालीन बिहार का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का प्रशिक्षण केन्द्र अब झारखंड में है। सीमा सुरक्षा बल ने सिद्धांत रूप में गया और मुजफ्फरपुर में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। माननीय गृह मंत्री कृपया बी0एस0एफ0 अधिकारियों की एक टीम को इन जिलों में उपयुक्त भूमि के चयन के लिए भेजने का निदेश देना चाहेंगे। सी0आर0पी0एफ0 को भी राजगीर में अपने केन्द्र की स्थापना को सक्रिय करना है, जबकि राज्य सरकार ने इसके लिए बहुत पहले ही भूमि आवंटित कर दी है।

17. पुलिस आधुनिकीकरण की केंद्रीय योजना के अंतर्गत शस्त्र, गोला बारूद एवं यंत्रों की खरीद गृह मंत्रालय द्वारा करायी जानी चाहिए तथा राज्य सरकारों को आवश्यक सामान की आपूर्ति होनी चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा ऐसे आधुनिक यंत्रों (जिसमें आयातित सामग्रियाँ भी सम्मिलित है) की खरीद हेतु कठिन प्रक्रिया का पालन करना मुश्किल है। बड़े निर्मातागण राज्य सरकारों द्वारा निकाली गयी ऐसी छोटी निविदाओं में शायद ही आकर्षित होते हैं। अतः मैं पुनः केन्द्र सरकार से इन सामग्रियों की केन्द्रीयकृत अधिप्राप्ति पर विचार करने का अनुरोध करता हूँ।

18. नेपाल के साथ बिहार की 726 कि0मी0 खुली सीमा है। अवैध घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी, जाली नोट, मानव तस्करी, आपराधिक कार्य और अन्य ऐसे कई मुद्दे हैं, जिसका हमें सीमा पर सामना करना पड़ता है। गृह मंत्रालय द्वारा भारत–नेपाल सीमा स्थित 7 अदद सड़कों के प्रस्तावित निर्माण पर दी गई स्वीकृति स्वागत योग्य है। 564 कि0मी0 सीमा सड़कों के निर्माण के लिए `1700 करोड़ की लागत का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

हालांकि, सीमा पर सशस्त्र सीमा बल तैनात है तथापि उनकी संख्या में वृद्धि, सीमा चौकियों की मजबूती एवं इनकी किलाबंदी, सीमा सड़कों एवं समेकित चेक–पोस्ट का शीघ्र निर्माण तथा दोनों देशों की टीम द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण कराना अति आवश्यक है। सशस्त्र सीमा बल के जवानों और पदाधिकारियों को स्थानीय लोगों के प्रति अपने व्यवहार एवं शिष्टाचार में समुचित संवेदनशील होना आवश्यक है, क्योंकि हाल में गम्भीर एवं अमर्यादित व्यवहार की घटनाएँ प्रतिवेदित हुई हैं।

19. आज के एजेंडा में सी0सी0टी0एन0एस0 परियोजना का भी उल्लेख है। इस परियोजना के क्रियान्वयन में हमारी प्रगति संतोषप्रद है और हम निर्धारित समय सीमा प्राप्त करेंगे। हालांकि, इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गये क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण प्रतिवेदन के अनुसार कुछ अतिरिक्त मॉड्यूल्स जो मानव संसाधन प्रबंधन, वित्त एवं लेखा, भंडार प्रबंधन तथा यातायात/निगरानी मॉड्यूल्स परियोजना के लिए आवश्यक हैं, परन्तु राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रस्तावित नमूने में इन्हें शामिल नहीं किया गया है। फलस्वरुप यह परियोजना इन मॉड्यूल्स के लिए वित्त पोषण प्रदान नहीं करता है। मैं गृह मंत्रालय से आग्रह करता हूँ कि वित्त पोषण पद्धति पर पुनर्विचार करे तथा उपर्युक्त अतिरिक्त मॉड्यूल्स के लिए बजटीय उपबंध भी हो।

20. हमने आर्थिक अपराध रोकने के लिए कड़े कदम उठाये हैं। राज्य सरकार की अपराध अनुसंधान शाखा संबंधित एजेंसियों, यथा–सीमा सशस्त्र बल, कस्टम, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर जाली भारतीय नोट (FICN) की विभीषिका को रोकने के लिए प्रयासरत है। छापामारी, जाली नोटों की जब्ती, आसूचना संग्रह एवं विशेषकर भारत–नेपाल सीमा पर लोगों को जाली नोटों की विभीषिका के संबंध में शिक्षित करने जैसी बहुआयामी रणनीतियाँ अपनायी जा रही है। तस्करी तथा मादक द्रव्यों की खेती जैसे अन्य आर्थिक अपराध को भी रोकना है। नेपाल से ऐसे पदार्थों की तस्करी के लिए बिहार एक पारगमन मार्ग के साथ गंतव्य स्थल भी है। हमने पाया है कि नेपाल से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों से अफीम की अवैध खेती में इजाफा हुआ है। भारत–नेपाल सीमा की बैठकों में यह मुख्य

एजेंडा रहा है। कभी–कभी प्राधिकारियों के द्वारा इसके विरूद्ध कड़े कदम उठाए जाते हैं परन्तु अधिकांशतः यह निर्बाध गति से चलता रहता है। भारत सरकार को नेपाल सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उचित ढंग से उठाना चाहिए। हमारी तरफ से जिला पुलिस, अपराध अनुसंधान विभाग के साथ भारत सरकार की अन्य एजेंसियाँ यथा एन0सी0बी0, सीमा सशस्त्र बल एवं कस्टम मादक द्रव्यों की जब्ती के लिए संयुक्त छापेमारी अभियान करती हैं। राज्य पुलिस के अधीन अपराध अनुसंधान विभाग में आँकड़ों का संग्रह, आसूचना प्राप्ति एवं विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए पुलिस महानिरीक्षक (आर्थिक अपराध) के अधीन एक अलग शाखा कार्यरत है।

21. आसूचना पक्ष को सुदृढ़ करना हमारी प्राथमिकता है। लोकशांति, सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी सहायता और प्रशासन के कार्यों के लिए हम आसूचना संगठन के विशेष शाखा के पुनर्गठन के लिए कार्य कर रहे हैं। भौतिक क्षमता की अपेक्षा बौद्धिक क्षमता एवं उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भर्ती का प्रस्ताव है। विशिष्ट कैडर में इन कर्मियों को भिन्न पदनाम और बेहतर प्रोन्नति दी जाएगी। उन्हें बेहतर भत्ते और प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

22. अंत में मुझे यह सूचित करने में संतोष हो रहा है कि पिछले पाँच वर्षों में राज्य सरकार के निरन्तर प्रयासों से विधि–व्यवस्था, नक्सली एवं साम्प्रदायिक स्थिति में सुधार हुआ है। जनमानस में कानून का राज और सामान्य/स्पीडी ट्रायल से नये आत्म विश्वास का संचार हुआ है। बिहार में पर्यटकों के आवागमन में भी उल्लेखनीय बढोत्तरी हुई है। सिपाही भर्ती बोर्ड, काउन्टर–इनसरजेन्सी तथा एन्टी–टेरेरिस्ट स्कूल, राज्य पुलिस अकादमी, सैप बहाली तथा पुलिस आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण एवं पुलिस बहाली से बिहार पुलिस में वृहद गुणात्मक सुधार का संचार हुआ है। मानव जीवन को प्रतिष्ठा के साथ सुरक्षा देने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

धन्यवाद।

जय हिन्द।